

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 14.5.15

संचिका संख्या 2/नि. स्था. सा. (1) - 16/2006/2879/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग नियमावली-2008 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली "सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2015" कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

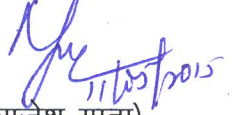
2. उक्त नियमावली, 2008 के नियम 4 में संशोधन। - (1) उक्त नियमावली, 2008 का नियम 4 का उप नियम (1) का खंड (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा -

"(घ) - भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमिडियेट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) उक्त नियमावली, 2008 के नियम 4 का उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: -

"(2) अधिकृत बल के शेष 15 प्रतिशत (15%) पद सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय/मुफ्फरिसल कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह 'घ' संवर्ग के वैसे कर्मियों से, जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों, वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

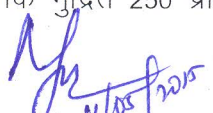

(राजेश गुप्ता)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 2879/पटना, दिनांक 14.05.15

2 नि० स्था० सा० (01) - 16/2006

प्रतिलिपि- उप सचिव (ई-गजट), वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित। अनुरोध है कि मुद्रित 250 प्रतियों विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

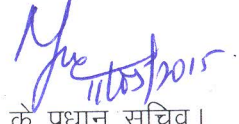

सरकार के प्रधान सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक 2879 / पटना, दिनांक 14.05.15

2 नि० स्था० सा० (०१) - 16/2006

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सरकार के उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों (अंकेक्षण सहित)/सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियों/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियों/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियों (खादी सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 01-नि० एवं 02-नि०, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar
Cooperative Department

Notification

Patna, Dated 14.05.15

No. 2/नि.स्था.सा. (01)-16/2006 - 2879 /In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution on India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Cooperative Department Clerk Cadre Rules, 2008: -

1. Short title and commencement - (1) These Rules may be called "The Cooperative Department Clerk Cadre (Amendment) Rules, 2015".

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in Rule 4 of the said Rules, 2008 - (1) Clause (d) of sub rule (1) of Rule 4 shall be substituted by the following: -

"(d) - The minimum educational qualification for appointment shall be passing of Intermediate (10+2) or equivalent examination with knowledge of computer typing. Minimum age shall be 18 years and the maximum age limit shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time."

(2) Sub rule (2) of Rule 4 of the said Rules, 2008 shall be substituted by the following: -

"(2) - Remaining 15 percent (15%) of the sanctioned strength shall be filled up by the concerned Appointing Authority by appointment by promotion on the basis of seniority of such group 'D' personnel working in the regular establishment of field offices of Cooperative Department, who have qualifications of the appointment to the post of Clerk."

By the order of the Governor of Bihar


(Rajesh Gupta)

Principal Secretary to the Government.